भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 9*

02 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: ड्रिप-सिंचाई हेतु नीति

9. श्री संजय काका पाटीलः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश-भर में भौगोलिक सर्वेक्षण के आधार पर ड्रिप-सिंचाई हेतु एक नई नीति शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में आरंभ की गई ड्रिप-सिंचाई योजनाओं के लिए निधियां स्वीकृत की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में विशेषकर सांगली जिले की क्षारीय भूमि के लिए निधियां स्वीकृत और जारी करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'ड्रिप-सिंचाई हेतु नीति' के संबंध में दिनांक 02.02.2021 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 9 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) एवं (ख) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) देश के सभी राज्यों में 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक की एक केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के अलावा, इस घटक में सूक्ष्म स्तरीय जल भंडारण या जल संरक्षण/प्रबंधन गतिविधियों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है ताकि सूक्ष्म सिंचाई के लिए स्रोत निर्माण की पूर्ति की जा सके।

देश में 2015-16 से अब तक पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत 51.54 लाख हेक्टेयर (ड्रिप सिंचाई 27.26 लाख हेक्टेयर और स्प्रिंकलर सिंचाई 24.28 लाख हेक्टेयर) क्षेत्र को कवर किया गया है। इसके अलावा, सूक्ष्म सिंचाई की पूर्ति के लिए स्कीम के तहत 4.84 लाख सूक्ष्म स्तरीय जल संचयन/ सहायक भंडारण संरचनाएं बनाई गई हैं।

(ग) पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत, 2015-16 से अब तक महाराष्ट्र राज्य को 1660.4 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए 200.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(घ) एवं (ड.) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों में 2016-2017 से प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की उप योजना के रूप में समस्या ग्रस्त भूमि के उपचार (क्षार/लवण और अम्ल) को कार्यान्वित कर रहा है।

इस योजना के तहत, आरकेवीवाई की राज्य स्तरीय संस्वीकृत समिति (एसएलएससी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार कोल्हापुर जिले में लवणीय भूमि के उपचार के लिए उप-सतही जल निकासी की एक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2018-19 के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार को 1.32 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई। चालू वर्ष में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य को 1.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2019-20 और 2020-21 के दौरान कोई केंद्रीय सहायता जारी नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य ने इन वर्षों के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से न ही कोई परियोजना प्रस्ताव और न ही पहले जारी की गई राशि के लिए प्रगति और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है।

****